



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2011/पौष 8, 1933

No. 695]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2011/PAUSA 8, 1933

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 913(अ).— केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) एवं धारा 211 की उप-धारा (3ग) के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेखांकन मानकों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श करके कम्पनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006, जिसे इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

1. (1) इन नियमों को कम्पनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमावली के अनुलग्नक में शीर्ष "ख लेखांकन मानक" के अंतर्गत "विदेशी मुद्रा विनियम दर में परिवर्तनों का प्रभाव" से संबंधित उप-शीर्ष "लेखांकन मानक (एएस) 11" में अनुच्छेद 46 में "46. 7 दिसम्बर, 2006 को या उसके पश्चात् शुरू एवं 31 मार्च, 2012 को या उसके पहले समाप्त लेखांकन अवधि के संबंध में" शब्दों एवं अंकों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"46. 7 दिसम्बर, 2006 को या उसके पश्चात् शुरू एवं 31 मार्च, 2020 को या उसके पहले समाप्त लेखांकन अवधि के संबंध में।"

[फा. सं. 17/133/2008-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

(1)

पाद टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 739(अ), दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे एवं अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212(अ), दिनांक 27 मार्च, 2008 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था एवं सा.का.नि. 225(अ), दिनांक 31 मार्च, 2009 तथा सा.का.नि. 378(अ), दिनांक 11 मई, 2011 द्वारा इसमें पश्चात्पूर्वी संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2011

G.S.R. 913(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 642 read with sub-section (1) of Section 210A and sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the following amendment in the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, hereinafter called the said rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, in the Annexure under the heading "B. Accounting Standard", in the sub-heading "Accounting Standard (AS) 11" relating to "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", in paragraph 46 for the words and figures "46. In respect of accounting periods

commencing on or after 7th December, 2006 and ending on or before 31st March, 2012, the following shall be substituted, namely :—

“46. In respect of accounting periods commencing on or after 7th December, 2006 and ending on or before 31st March, 2020.”

[F. No. 17/133/2008-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Foot Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R. 739(E), dated the 7th December, 2006 and amended *vide* notification number G.S.R. 212(E), dated the 27th March, 2008 and subsequently amended by No. G.S.R. 225(E), dated the 31st March, 2009 and No. G.S.R. 378(E), dated the 11th May, 2011.